

# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 (RTI)/26/2026/

रजि० नं० 2026/26

प्रवेश तिथि 07.04.2026

अपीलार्थी :-	प्रत्यर्थी :-
श्रीचन्द्र यादव पुत्र मांगीराम यादव निवासी ग्राम माचरोली तहीसल किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

## अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### —: निर्णय :- दिनांक 06.05.2026

- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 4484189953311758 दिनांक 08.10.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 445 दिनांक 15.04.2026 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2026 को उपस्थित आवे। नियत तिथि को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) ने जर्ज्य पत्राक लोक सूचना /2026/601(e) दिनांक 22.04.2026 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, मुताबिक जवाब के अपेक्षित सूचना अपीलार्थी पूर्व पत्राक 1637 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 4484189953311758 दिनांक 08.10.2025 में वर्णित सूचना के बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को भिजवायी जा चुकी है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही की गयी है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुमोदित प्रकाश)  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा